झारखण्ड सरकार
प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी, बोकारो
(उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग)
<u>संस्थान हेतु सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालिक पुर्न निविदा निविदा</u>

झारखण्ड सरकार उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत इस कार्यालय में सरकार के पत्रांक–1045 दिनांक–11.07.2019 के आलोक में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराने हेतु संवेदकों से मुहरबंद दो लिफाफों में दिनांक–31.01.2020 के चार बजे संध्या तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

एक मुहरबंद लिफाफे में संवेदक अपने कार्य स्थल निबंधन की स्थिति, आयकर विवरणी GST मे Registration एवं सेवा शर्तो का उल्लेख कर तकनीकी सेवा शर्त के नाम से जमा करेगें।

दुसरा लिफाफा में सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी को उनके द्वारा प्रस्तावित देय मानदेय की राशि एवं अगर कुछ कटौतियॉ होनी है (यथा संबंधित कर्मी का अनिवार्य मानक EPF,ESI में कटौति) एवं संस्था द्वारा अगर कोई सेवा उपलब्ध कराने हेतु राशिकी मांग हो तो उसका ब्यौरा अंकित करते हुए वित्तीय सेवा शर्त के नाम से जमा करेगें।

इस अल्पकालिक निविदा के तकनीकी लिफाफा को दिनांक–07.02.2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा।

<u>कार्य का दायित्व</u>–

आपूरित किये गये सुरक्षा कर्मियों को क्रमित तौर पर मेन गेट एवं मुख्य भवन तथा परिसर की सुरक्षा का दायित्व रहेगा।

सफाई कर्मियों को संस्थान के सामान्य कार्यावधि के दौरान मुख्य भवन, हॉस्टल एवं परिसर में सफाई रखने एवं संधारण का कार्य होगा। सफाई कर्मी दो तरीके के होगें। एक झाडुकश एवं एक संस्थान एवं हॉस्टल के बाथरुम के सफाई के लिए।

शर्तें–

1. प्राचार्य राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी को भुगतेय निविदा जमानत राशि 5000 (पॉच हजार) Bank Draft के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। असफल सेवेदको की जमानत राशि सफल निविदाकर्त्ता के चयन के उपरान्त लौटा दी जायगी।
2. संवेदक को इस संबंध में दो साल के लगातार सरकारी संस्थानों/कार्यालयों या प्रतिश्ठित निजि प्रतिश्ठानों के कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव हो। इस संबंध में उपलब्ध प्रमाण पत्र तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करें।
3. सरकार के संबंधित विभाग/संस्था में निबंधन संबंधि प्रमाण पत्र की छाया प्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करें।
4. अद्यतन दो वर्षो तक संस्था का आयकर रिटर्ण की छाया प्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करें।
5. सरकार में सेवा संबंधित विभाग/संस्था में निबंधित संस्थाओं के द्वारा शुल्क या कटौति की अद्यतन दो वर्षो की विवरणी की छाया प्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करें।
6. विगत दो वर्षो का संस्था को प्राप्त कार्यादेश की छाया प्रति तकनीकी सेवा शर्त के लिफाफा में प्रस्तुत करें।
7. सुरक्षाकर्मी के रुप में कार्य करने वाले कर्मियों को रक्षा शिक्षा विश्वविद्यालय या किसी सरकार के मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा छः मह का Certificate पाठ्यक्रम पुरा किये रहने की शर्त होगी।
8. सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी उपलब्ध कराने वाली संस्था एक इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगे जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि वे या उनकी सस्था भारत के किसी राज्य अथवा प्रतिष्ठान में इस कार्य के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए काली सूची/प्रतिबंधित सूची में नहीं डाले गये हो एवं उन पर किसी प्रकार का आरोप गठित न हो एवं न वाद चल रहा हो।
9. जिन संवेदकों के द्वारा तकनीकी सेवा शर्त पुरी की जायगी उन्हीं संवेदको का वित्तीय सेवा शर्त के लिफाफे खोले जायेगें एवं उनसे ही संवेदको का तुल्नात्मक विवरणी बनाते हुए उन पर निर्णय लिया जायगा।
10. संस्थान को झारखण्ड सरकार से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात ही संस्था के द्वारा आपूरित किये गये कर्मियों का भुगतान संस्था को किया जायगा। संस्था के द्वारा आपूरित कर्मियों को भुगतान संस्था की जिम्मेवारी होगी।
11. संस्थान में संस्था के द्वारा आपूरित कर्मियों का भुगतान Biometric Attendance के आधार पर उपस्थित कार्य दिवसों के आधार पर किया जायगा।
12. Bank To Bank Transfer द्वारा कर्मियों को भुगतान एवं EPF/ESI में कटौतियों से संबंधित विवरणी संस्था को प्रत्येक भुगतान के पश्चात अगामी भुगतान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. बिना कारण बताये अगर आपूरित कर्मी एक सप्ताह से अधीक अनुपस्थित रहते हैं या संतोषजनक सेवा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संस्थान को निविदा र६ करने का अधिकार संस्थान को होगा।
14. यह निविदा 11 माह तक के लिए वैध रहेगी।
15. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी, बोकारो